न्यायालय प्रथम अपील प्राधिकारी एवं जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(अपील अन्तर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई. एक्ट 2005)

अनवान

श्रीमती सुशीलादेवी पत्नी रामलालजी रांका, बी–15, संगम टावर, पुराना आरटीओ आफिस रोड, भीलवाड़ा जिला भीलवाडा

बनाम

लोक सूचना अधिकारी **एवं उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा**

प्रकरण संख्या :– 30/2025 (20/2025)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27–03–2025	**–: निर्णय :–** 1. पत्रावली आज पेश हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। 2. अपीलार्थी ने अपने ऑनलाईन प्रथम अपील आवेदन संख्या 249710619821943 दिनांकित 17–**02–2025** में वर्णितानुसार उनकी ओर से दिनांक 14–01–2025 को प्रस्तुत आवेदन में वर्णित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं **उखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा** रेस्पोडेंट के द्वारा उपलब्ध नहीं करवाये जाने से व्यथीत होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील 17–02–2025 को प्रस्तुत कर रेस्पोडेंट से सूचना दिलाये जाने का निवेदन किया है। 3. लोक सूचना अधिकारी एवं **उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा** से टिप्पणी चाहे जाने पर उन्होंने जरिये पत्रांक 482 दिनांक 20–03–2025 से अपीलार्थी को अपेक्षीत सूचनायें उपलब्ध कराई जा चुकी है तथा अपीलार्थी रेस्पोडेण्ट से प्राप्त सूचना से संतुष्ठ है। जिसकी प्रतिलिपि उक्त अपील पत्रावली के अभिलेख पर मौजूद है। अपीलार्थी वक्त सूचनाई अनुपस्थित रहे हैं। ऐसी स्थिति में यह यह अवधारित माना जाता है कि प्रार्थी अपीलार्थी को, प्रत्यर्थी द्वारा उसे प्रदत्त सूचना से संतुष्ट है। अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार हो कर उक्त निर्णय की प्रतिलिपि ऑनलाईन आरटीआई पोर्टल एवं जीसीएमएस पोर्टल पर अपलोड की जावें। पत्रावली नम्बर से कम हो। निर्णय आज दिनांक 27–03–2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। (जसमीत सिंह संधू) प्रथम अपीलीय अधिकारी लोक सूचना एवं जिला कलक्टर, भीलवाड़ा	

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भीलवाड़ा (राज.)